न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/399
मिसलनम्बर– 30 / 2023

1.धन्नालाल मेघवाल आत्मज स्व0 गोपाललाल
2.श्रीमती अनोख बाई पत्नी धन्नलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासीगण नीलकंठ धाम प्रथम नयाखेड़ा बूंदी रोड कुन्हाड़ी

प्रार्थी।

बनाम

1.दिलीप कुमार आत्मज धन्नलाल मेघवाल
2.श्रीमती लक्ष्मी पत्नी दिलीप कुमार जाति मेघवाल निवासीगण नीलकंठ धाम प्रथम नयाखेड़ा बूंदी रोड कुन्हाड़ी

–:निर्णयः–
(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)
दिनांक....18/8/24

उपस्थितिः–
1.श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री मुकेश लोधा अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सीनियर सिटीजन हे जो काफी वृद्ध है जो अधिकतर बीमार रहते है एवं प्रार्थीगण अपने स्वअर्जित आय से खरीद किए मकान में जीवन बसर कर रहे है। प्रार्थी क्रम 1 ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वअर्जित आय से अपने पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 की पढाई लिखाई एवं समस्त जिम्मेदारियां पिता के रूप मे बखूबी निभायी और अपने पुत्र को खाने कमाने लायक बना दिया एवं अपने जीवनकाल मे समस्त जमापूंजी अप्रार्थी क्रम 1 की अच्छी परवरिश एवं उनके विवाह आदि मे इस उम्मीद से लगा दी कि उसकी वृद्वावस्था मे अप्रार्थीगण उसकी सेवा सूश्रूषा करेगें किन्तु अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर नीलकंठ धाम प्रथम नयाखेडा बूंदी रोड़ कुन्हाडी कोटा राज० को हडपने की नियत से नाजायज परेशान कर रहे है और प्रार्थीगण को आए दिन लडाई झगडे एवं मारपीट कर शान्तिपूर्ण जीवन को नष्ट कर रखा है और आए दिन प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 2 झगडा कर झूठी रिपार्ट दर्ज करवाती है और कहती है कि यह मकान हमारा है और तुम इस मकान से निकल जाओ और मकान हमारे नाम पर कर दो वरना हम छेडछाड के झूठे मूकदमे मे प्रार्थी क्रम 1 को फंसा देगी और जेल में सडवा देंगी। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा आए दिन के लडाई झगडो से काफी परेशान व भयभीत हो गए है। प्रार्थी क्रम 1 के जीवनकाल मे कमाई हुयी समस्त जमा धन राशि अप्रार्थीगण ने डरा

न्यायालय उपखण्ड ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

धमका कर छीन ली है और अब प्रार्थीगण के पास अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित मकान ही उनकी संपत्ति है जिसे भी अप्रार्थीगण हडप कर बेचान करना चाहते है इसलिए आए दिन प्रार्थीगण को लडाई झगडा कर मारपीट करने पर उतारू हो जाते है तथा झूठी रिपोर्ट पुलिस थाने मे दर्ज करवाते है और अप्रार्थी क्रम 2 महिला होने का फायदा उठाकर प्रार्थी क्रम 1 को झूठे छेडछाड के मुकदमे मे फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती है और पुलिस भी अप्रार्थी नं 2 की झूठी रिपोर्ट पर मात्र इस कारण कि वह महिला है कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण को प्रताडित कर थाने मे बुलाते है तथा बंद कर पाबंद करवा देते है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट मकान को जबरन हडप कर बेचान करने के लिए की जा रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान में जबरन निवास कर रहे है और नल एवं लाईट का दुरूपयोग कर अनावश्यक बिल की शाशि बढा रहे है और नल लाईट के बिल का भुगतान भी प्रार्थीगण पिछले कई वर्षों से कर रहे है लाईट व पानी के बिल की मांग अप्रार्थीगण से किए जाने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ मारपीट एवं गाली गलौच पर आमादा हो जाते है इस प्रकार लाईट एवं पानी के बिल के रूप मे प्रार्थीगण का रूपया अप्राथीगण खर्च करवा रहे है जबकि प्रार्थी क्रम 1 की पेंशन प्रार्थीगण की हारी बीमारी ईलाज खर्च मे पूरी हो जाती है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के प्रति अपने कर्तव्यो का निर्वहन करने मे पूर्णतया असफल रहे है। अप्रार्थीगण मकान को बेचान कर राशि हडपने के लालच मे इतने अंधे हो गए है कि अगर वक्त रहते अप्रार्थीगण के विरूद्ध उचित कार्यवाही कर प्रार्थीगण के मकान से नही निकाला गया तो कभी भी प्रार्थीगण के साथ बडी अनहोनी घटना कारित कर सकते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावे एवं प्रार्थीगण की स्वअर्जित आय से अप्रार्थी क्रम 1 के नाम खरीदशुदा मकान वाके नीलकंठ धाम प्रथम नयाखेडा बूंदी रोड कुन्हाडी कोटा राज० स्थित से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीगण की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करवाए जाने के आदेश प्रदान करे एवं प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण द्वारा किए गए अत्याचार के लिए अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावे ।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई मारपीट नही करते है, बल्कि उन्हे सम्मानजनक तरीके से मकान में रखते है। प्रार्थीगण ही मकान को नाजायज रूप से बेचान करने खुर्द बुर्द करने हेतु तत्पर रहते है जिनका कि उन्हे किसी प्रकार से कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योकि उक्त मकान पुश्तेनी मकान है। अप्रार्थीगण उक्त मकान में निवास कर रहे है और उनके पास में उक्त मकान के अलावा रिहायश हेतु अन्य कोई मकान भी नहीं है इस कारण से मकान को बेचान करने का किसी प्रकार से कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है बल्कि प्रार्थीगण ही जानबूझकर अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान व तंग करके मकान को बेचान करना चाहते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को घर से निकालना चाहते हैं। क्योकि अप्रार्थी क्रम 1 के नुत्फे से अप्रार्थी क्रम 2 के दो संताने उत्पन्न हुयी है। जो कि लडकियां है। प्रार्थीगण उन्हें वारिस नही मानकर अपने उपर बोझ मानती है। इसलिये अप्रार्थी क्रम 1 के उपर दबाव डालकर उसका दूसरा विवाह करना चाहते है। पूर्व में भी प्रार्थीगण , अप्रार्थी क्रम 2 को घर से निकालने के लिये 2,00,000/– रूपये की मांग की गयी थी , जो कि अप्रार्थीगण 2 के परिवारजनो के द्वारा बडी मुश्किल से 1,000,000/– रूपये उनको दे पाये थे, इसके बावजूद भी आये दिन ताने मारकर उन्हें घर से निकालना चाहते है। उनकी अप्राथी क्रम 2 को अपशगुन मानते है कि हमारे घर का वंश नही चला सकती है इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

दूसरा विवाह कर उसको बाहर निकालने के लिये प्रयत्नशील है। जो विधिक रूप से उनका कोई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे। एवं प्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थीगण को उक्त मकान में शान्ति पूर्वक निवास करने दे। और किसी प्रकार की अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण झूँठी कार्यवाही नही करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीगण के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान नीलकंठ धाम प्रथम नयाखेड़ा बूंदी रोड कुन्हाड़ी कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, मकान का बेचान नही करे और ना ही प्रार्थीगण पर मकान बेचान हेतु दवाब बनाये।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः.......18/4/24.......को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा